

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2019/00169

दिनांक 25.02.2019

सेवा में,

श्रीमती अनिता खण्डेलवाल,
पत्नी - श्री महेन्द्र खण्डेलवाल,
द्वारा - श्री आर. सी. शर्मा के मकान में,
जवाहर मार्ग गली नं. 1, नागदा,
जिला - उज्जैन ।

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

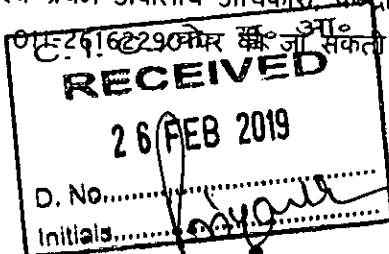
महोदय,

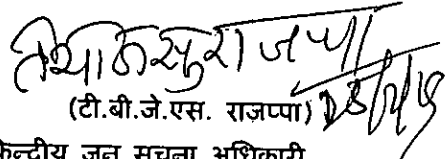
उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 12.02.2019 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि दिनांक 14.02.2019 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराईज हुआ तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 15.02.2019 को प्राप्त हुआ के संदर्भ में अवगत करवाया जाता है आपके द्वारा मांगी गई सूचना का धारक केन्द्रीय सूचना आयोग नहीं है । साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग केवल केन्द्रीय सरकार एवं संघ शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत विभागों/कार्यालयों के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय अधिकरण है ।

आपके आवेदन का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि आप संबंधित कार्यालय में आर.टी.आई. आवेदन दाखिल कर चुकी हैं । इस संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि यदि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत किसी लोक प्राधिकरण/विभाग द्वारा निर्धारित अवधि में कोई सूचना प्रदान नहीं की जाती है अथवा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट न हों तो अगले 30 दिनों के अंदर उसी कार्यालय/विभाग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से वरीय अधिकारी जो प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में पदनामित हैं, के समक्ष प्रथम अपील दाखिल करें । अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी निर्धारित अवधि में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है या प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश से भी आप संतुष्ट न हों तो केन्द्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं । द्वितीय अपील आवेदन के साथ लोक प्राधिकरण से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पत्राचार की छायाप्रतियाँ (स्वअभिप्रमाणित) संलग्न करना आवश्यक होता है, जिनमें सूचना प्राप्ति हेतु आर.टी.आई. आवेदन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना (यदि सूचना प्रदान की गई हो), प्रथम अपील आवेदन, प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश (यदि दिया गया हो), पहचान पत्र की प्रति के साथ सभी संलग्नकों का क्रमांक (Index) सूची भी संलग्न करना आवश्यक है ।

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील दाखिल करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष नं. 011-26172690 पर कर सकते हैं ।




(टी.बी.जे.एस. राजप्पा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई. सेल,
दूरभाष - 011-26172690